प्रेस विज्ञप्ति

24.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत मैसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध **23-02-2024** को लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा, अहमदाबाद और गुड़गांव में **10** स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। अपराध की आय का पता लगाने और खुलासा करने के लिए मैसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अन्य निदेशकों और ठेकेदारों के साथ-साथ पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के आवास और कार्यालय परिसरों पर तलाशी ली गई।

ईडी ने मैसर्स जीईएल कंपनी द्वारा इसके निदेशकों/प्रवर्तकों/गारंटरों की मिलीभगत से की गई **754** करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के उपरांत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि कंपनी के मुख्य प्रमोटर विनय शंकर तिवारी, पूर्व विधायक और उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों द्वारा संचालित और नियंत्रित विभिन्न संबंधित पेपर कंपनियों को पैसे की हेराफेरी और दुर्विनियोजन किया गया, जिससे बैंकों के सह-समूह को **754** करोड़ रुपए का गलत तरीके से नुकसान हुआ। उनके कई रिश्तेदार मैसर्स जीईएल कंपनी में या तो निदेशक, शेयरधारक या गारंटर हैं।

इस मामले में नवंबर **2023** के महीने में **72.08** करोड़ रुपए की विभिन्न संपत्तियों को कुर्क करते हुए एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था।

तलाशी के दौरान यह पाया गया कि निवेश की आड़ में धन की हेराफेरी की गई और इसकी समूह कंपनियों को ब्याज मुक्त ऋण और अग्रिम दिए गए। जब ऋण खाता एनपीए हो गया तो कुछ उच्च मूल्य वाली संपत्तियों को बिना किसी प्रतिफल के बेनामी/कागजी संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप कई डिजिटल डिवाइसें, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और विभिन्न चल और अचल संपत्तियों के विवरण बरामद और जब्त किए गए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।